# न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

**पीठासीन अधिकारी :-** हनुमान सहाय मीणा **आर.जे.एस.**
**सी.आई.एस. नंबर :-** **Reg.Cri.Case/120/2021**
**सी एन आर नंबर :-** **RJBD140002992021**

## निर्णय दिनांकः- 24.03.2026

**पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के मुकदमा संख्या 261/2019 अन्तर्गत धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण**

| | |
|---|---|
| परिवादी | राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी |
| प्रतिनिधित्व द्वारा | श्री कमलेश कुमार, अभियोजन अधिकारी |
| अभियुक्त/अभियुक्तगण | 1. **रामकेश** पुत्र नानकराम मीणा उम्र 33 साल निवासी रामपुरिया थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0<br>2. **श्रीमती राजेश बाई** पत्नी ओमप्रकाश रेगर उम्र 35 साल निवासी शेरगंज थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 |
| प्रतिनिधित्व द्वारा | श्री किशनलाल जैन व आरिफ अली विद्वान अधिवक्ता |
| अपराध की तिथि | 06.12.2019 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि | 06.12.2019 |
| आरोप पत्र की तिथि | 07.09.2021 |
| आरोप के विरचना की तिथि | 22.02.2022 |
| साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि | 10.05.2022 |
| निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि | 24.03.2026 |
| निर्णय की तिथि | 24.03.2026 |
| दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि | - |

**अभियुक्त का विवरणः-**

| अभियुक्त की श्रेणी | अभियुक्त का नाम | गिरफ्तारी की दिनांक | जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि | अपराध जिनका आरोप है | दोषमुक्ति या दण्डादेश | अधिरोपित दण्डादेश | धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **रामकेश** | - | - | धारा 420, 406 भा.दं.सं. 1860 | **दोषमुक्ति** | - | - |
| 2. | **राजेश बाई** | - | - | धारा 420, 406 भा.दं.सं. 1860 | **दोषमुक्ति** | - | - |

**अभियोजन साक्ष्य की सूचीः-**

**(क) अभियोजन साक्षीः-**

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस |
|---|---|---|

| | | साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| अभियोजन साक्षी-1 | रामसिंह | जांच रिपोर्ट साक्षी |
| अभियोजन साक्षी-2 | तरूणकान्त | जांच रिपोर्ट व बयान साक्षी |
| अभियोजन साक्षी-3 | बंशीलाल | एफआईआर साक्षी |
| अभियोजन साक्षी-4 | दौलतराम | तफ्तीश साक्षी |
| अभियोजन साक्षी-5 | रमेश मदान | बयान व रिकार्ड साक्षी |

**(ख) प्रतिरक्षा साक्षीः-**

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|
| - | - | - |

**(ग) न्यायालय साक्षीः-**

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|
| – | – | – |

**अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:-**

**(क) अभियोजन:-**

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरण | प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रदर्श पी-1 | तहरीरी रिपोर्ट | अभि. साक्षी–2 |
| 2. | प्रदर्श पी-2 | रिकार्ड पत्र | अभि. साक्षी–2 |
| 3. | प्रदर्श पी-3 | परिवाद दर्ज आदेश | अभि. साक्षी–2 |
| 4. | प्रदर्श पी-4 & 4a | जांच रिपोर्ट व फोटोप्रति | अभि. साक्षी–2 |
| 5. | प्रदर्श पी-5 | पूरक जांच रिपोर्ट | अभि. साक्षी–2 |
| 6. | प्रदर्श पी-6 & 6a | परिवाद हस्ताक्षरित व बयान | अभि. साक्षी–2 |
| 7. | प्रदर्श पी-7 | चाक एफआईआर | अभि. साक्षी–3 |

**(ख) प्रतिरक्षा:-**

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरण | प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**(ग) न्यायालय प्रदर्श:-**

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरण | प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

**(घ) आवश्यक वस्तुए:-**

| क्रम संख्या | प्रदर्श संख्या | विवरण | प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |

**::निर्णय::**

**न्यायालय द्वारा :**

**01.** हस्तगत प्रकरण का उद्भव कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बून्दी द्वारा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के समक्ष प्रस्तुत टाईपशुदा रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 पेश किये जाने से हुआ। उक्त रिपोर्ट पर थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 261/2019 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भा0दं0सं0 में प्रस्तुत आरोप–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ।

**02.** प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर से पंजीबद्ध परिवाद संख्या 228/18 दिनांक 18.06.2018 विरुद्ध सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गुढा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी जांच हेतु मन तरूणकांत सोमानी पुलिस उप अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो बूंदी को प्राप्त हुआ। परिवाद जांच में पक्षकारो द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक मदद के हकदार नहीं होते हुए भी गलत तथ्यों के आधार पर आर्थिक मदद प्राप्त करने से संबंधित तथ्य सामने आये। सम्पूर्ण परिवाद की जांच से यह पाया गया कि राजेश बाई पत्नी ओमप्रकाश रेगर निवासी शेरगंज द्वारा दिनांक 15.10.2016 को अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज व बैंक पासबुक संलग्न कर व रामकेश पुत्र नेनगराम द्वारा दिनांक 12.10. 2016 को अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज व बैंक पासबुक गुढा पंचायत समिति के0पाटन को आवेदन किया गया था। संकलित दस्तावेजात व बयानात गवाहान से स्पष्ट हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत परिवार की पात्रता मापदण्ड 14 बिन्दुओं का सत्यापन संबंधित ग्राम सचिव व पटवारी द्वारा कर आवास आवंटन के संबंध में पात्र/अपात्र बाबत अभिशंषा की जाती है। पात्र पाये जाने पर परिवार का आवेदन आवश्यक दस्तावेजात के आधार पर अंतिम वरियता सूची जारी की जाती है। अनुबंध–1 में बर्हिवेशन प्रक्रिया में अंकित 14 बिंदुओ का सत्यापन का दायित्व बिन्दू सं0 3, 5, 11, 12, 13 हल्का पटवारी व शेष बिन्दुओं पर सत्यापन का दायित्व ग्राम सचिव का है। इस प्रकरण में उपरोक्त दोनों आवेदकों द्वारा बर्हिवेशन प्रक्रिया में अंकित 14 बिन्दुओ के तहत अपात्र होते हुए भी गलत तथ्यों के आधार पर आर्थिक मदद प्राप्त की, जिसके संदर्भ में निम्न तथ्य पाये गये कि– रामकेश द्वारा अपने आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 14(1) के तहत स्वयं के पास दुपहिया/चौपहिया वाहन नहीं होना बताया है। रामकेश मीणा सरपंच पुत्र है। परिवहन कार्यालय बूंदी से दिनांक 10.08.2018 से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार रामकेश मीणा के नाम एक दोपहिया वाहन

मोटरसाईकिल सुपर स्पलेण्डर आरजे08–एसजे–5456 व एक चौपहिया वाहन टवेरा नंबर आरजे08–जेयू–3218 होना पाया है एवं अन्य अभियुक्ता राजेश बाई द्वारा अपने आवेदन पत्र के तहत स्वयं के पति के नाम दुपहिया वाहन होने संबंधित तथ्य को छुपाया है। परिवहन कार्यालय बूंदी से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार ओमप्रकाश के नाम एक दोपहिया वाहन एचएफ डिलक्स नंबर आरजे08–एसआर–2462 है। इस तरह आवेदक राजेश बाई द्वारा अपने पति के नाम से दोपहिया वाहन व अभियुक्त रामकेश द्वारा अपने पास दोपहिया व चौपहिया वाहन होते हुए भी तथ्य छिपाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन कर अपने आवेदन पत्रों में तथ्यों को छिपाकर योग्य नहीं होने के बावजूद लाभ प्राप्त कर धोखाधड़ी करना पाया गया है...इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पूर्वोक्त प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भा0दं0सं0 में अभियोग–पत्र पेश हुआ। जिस पर बाद अवलोकन उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

**03.** बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भा0दं0सं0 का अपराध प्रथम दृष्ट्या पाये जाने से अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

**04.** अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पी.ड.01 रामसिंह, पी.ड02 तरूणकान्त, पी.ड03 बंशीलाल, पी.ड04 दौलतराम, पी.ड05 रमेश मदान को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.07 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

**05.** अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्तगण ने प्रस्तुत आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

**06.** बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान परिवादी अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध

प्रमाणित है, अतः उसे दोषसिद्ध घोषित किया जावे। साथ में लिखित बहस पेश की गई।

**07.** इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्तगण ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित कर पाने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाये।

**08.** बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का ससम्मान अवलोकन किया गया। अभियुक्त रामकेश की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए हैः–

1. 2025 Cr.L.R. (SC) 813
2. 2024 Cr.L.R. (SC) 1017
3. 2024 (3) Cr.L.R. (Raj.) 1428

**09**. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

**''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 06.12.2019 से पूर्व किसी समय, स्थान ग्राम पंचायत गुढा में षडयंत्रपूर्वक बेईमानीपूर्ण आशय से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन किया जो कि उक्त आवेदन बर्हिवेशन प्रकिया में अंकित बिन्दू संख्या 14(1) के तहत अपात्र थे तथा आपके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से प्राप्त अनुदानित राशि को अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर आपराधिक न्यासभंग कारित किया?**

**यदि हां तो इसके लिए उचित दण्ड क्या दिया जाना चाहिए?**

**10.** अभियोजन पक्ष की ओर से आयी साक्ष्य में गवाह पी.ड.01 रामसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 06.12.2019 को एडीशनल आफिस एसीबी बून्दी मे कानि० के पद पर कार्यरत था। उस दिन डी.वाई.एसपी साहब ने मुझे एक पत्र दिया। पत्र क्रमांक 1077 दिनांक 05.12.2019 एसएचओ इन्द्रगढ के नाम दिया था। जो एसएचओ इन्द्रगढ पहुंच कर पुलिस थाना इन्द्रगढ को सुपुर्द किया।

**11.** अभियोजन पक्ष की ओर से आयी साक्ष्य में गवाह पी.ड.02 तरूणकान्त ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 26.03.2018 को पुलिस उपअधीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक चोकी बून्दी पर कार्यरत था। उस दिन परिवादी अमरलाल का परिवाद मेरे द्वारा दर्ज करने के लिए मार्फत पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा रेंज कोटा के द्वारा महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर को भिजवाया गया था। जहां से उक्त परिवाद संख्या 228/2018 दिनांक 18.06.2018 को दर्ज होकर चौकी बून्दी पर प्राप्त हुआ था जिसकी जांच मेरे द्वारा की गयी थी। दौराने जांच मेरे द्वारा पंचायत संमिति गुढा से संबंधित आरोपियों के प्रधानमंत्र आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत जो आवेदन किये गये थे उसका समुचित रिकॉर्ड प्राप्त किया गया था व परिवहन विभाग बून्दी से संबंधित वाहनों के रिकॉर्ड प्राप्त किये गये थे। जांच से पाया गया कि प्रधानमंत्री आवाज योजना के अन्तर्गत जो आवेदन किया जाता है उसमें अनुबंध 01 में 14 बिन्दु मापदण्ड के लिए निर्धारित होते है जिसके बिन्दु संख्या 3,5,11,12,13 की जांच की दायित्व पटवारी का होता है व शेष बिन्दुओ की जांच का दायित्व ग्राम सेवक को होता है। परिवाद की जांच की दौरान पाया गया कि आरोपी रामकेश ने जो तत्कालीन सरपंच का पुत्र था, ने गलत तथ्यों को छुपाते हुए अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री आवाज योजना के बिन्दु संख्या 01 के तथ्यो का छुपाते हुए आवेदन किया जबकि परिवहन विभाग बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपी रामकेश मीणा के पास एक दोपहिया वाहन मोटरसाईकल व एक चोपहिया वाहन टवेरा गाडी होना पायी गयी जो अनुबंध एक के अनुसार अपने आप में पैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री आवाज योजना के तहत योग्य नही पाया जाता है और स्वतः ही इस प्रक्रिया से बाहर हो जाता है जिसके आवेदन की बिन्दु संख्या 01 की जांच मेलासिंह ग्राम सेवक द्वारा की गयी थी जिसकी मृत्यू होना पाया गया था। इसी तरह आरोपिया राजेश बाई पत्नी ओमप्रकाश द्वारा भी गलत तरीके से तथ्यों का छुपाते हुए प्रधानमंत्री आवाज योजना के तहत आवेदन किया गया था जिनके द्वारा भी अनुबंध 01 के तहत बहिरवेशन प्रकिया के बिन्दु संख्या 01 में अंकित तथ्यों का छुपाया गया जबकि परिवहन विभाग बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमति राजेश बाई के पति ओमप्रकाश के पास दोपहिया वाहन होना पाया गया था इस तरह आरोपी रामकेश मीणा श्रीमति राजेश बाई द्वारा गलत तरीके से तथ्यों का बेईमानी पूर्ण आशय से छुपाते हुए प्रधानमंत्री आवाज योजना के अन्तर्गत अनुचित रूप से लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन किया व योजना में आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए योजना की किस्ते प्राप्त की। श्रीमति राजेश बाई के अनुबंध 01 के तहत बिन्दु संख्या 01 की जांच हुई जो ग्राम सेवक मेलासिंह द्वारा की गयी थी लेकिन उनके द्वारा जांच

अधुरी छोड देने से उसकी सम्पूर्ण जांच ओमप्रकाश नामा ग्राम सेवक द्वारा पूर्ण की गयी। मेरे द्वारा सम्पूर्ण जांच करने के पश्चात जांच रिपोर्ट ब्यूरो मुख्यालय भिजवायी गयी थी। जहां से सबंधित आरोपीगण के विरूद्ध 420 आईपीसी का अपराध प्रथम दृष्टया पाये जाने पर संबंधित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने के निर्णय लिया गया था जिस पर मेरे द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट कमांक 1077 दिनांक 05.12.2019 थाना इन्द्रगढ पर रामसिंह कानि० से दर्ज होने के भिजवायी गयी थी जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान थानाधिकारी इन्द्रगढ ने परिवाद के जांच के संबंध में समुचित दस्तावेज मांगे थे जो मेरे द्वारा पत्रांक 11 दिनांक 17.12.2019 से भिजवाये गये थे, रिकॉर्ड भिजवाने का पत्र प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। परिवाद की पूरक जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी 05 ए है। परिवाद की जांच के दौरान लिये गये बयान अमरलाल के हस्ताक्षरित प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है, अमरलाल के बयानों की फोटोप्रति प्रदर्श पी 06 ए है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

**12.** अभियोजन पक्ष की ओर से आयी साक्ष्य में गवाह पी.ड.03 बंशीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 06.12.2019 को पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में ए.एस.आई के पद पर कार्यरत था। उस दिन मैं थाना इंचार्ज भी था, उस दिन रामसिंह कानि. ए.सी.बी बून्दी ने एक तहरीरी रिपोर्ट मेरे समक्ष लाकर पेश की। जिसके मजबून से मैने मामला 420,406 भा.दं.सं. का पाये जाने पर प्रकरण सख्या 261/2019 दर्ज कर अनुसंधान एस.एच.ओ. साहब इन्द्रगढ़ दौलत कुमार साहू को सुपुर्द की। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 की पुश्त पर सी से डी मेरे द्वारा किया गया कार्यवाही पुलिस का अंकन है, जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। चाक एफ.आई. आर प्रदर्श पी.07 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

**13.** अभियोजन पक्ष की ओर से आयी साक्ष्य में गवाह पी.ड.04 दौलतराम साहू ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 06.12.2019 को पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन कार्यलय एसीबी बून्दी से श्री रामसिंह एफसी 78 उपस्थित थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिस पर मु.नं. 261/19 धारा 420,406 आईपीसी पेश की थी। दौराने अनुसंधान फरियादी श्री तरूणकांत सोमानी पुलिस उप अधिक्षक एसीबी रमेश मदान वीडीओ

पंचायत समिति के. पाटन के बयान लेखबद्ध किये थे। उसके पश्चात पंचायत समिति के. पाटन से रिकार्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। जिला परिवहन र्यालय बून्दी से आरोपीयों के वाहन संबंधी रिकार्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। आरोपीयों से पूछताछ कि गयी। जिनके खिलाफ 420,406 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरापीयों को 41 का नोटिस दिया। अनुसंधान में मुल्जिम रामकेश मीणा व श्रीमति राजेश बाई के खिलाफ बाद अनुसंधान अपराध 420,406 आईपीसी प्रमाणित पाया गया तथा श्रीमान मेरा स्थानांतरण होने के पश्चात आरोपीयो श्री मनोज कुमार सोनी ने चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**14.** अभियोजन पक्ष की ओर से आयी साक्ष्य में गवाह पी.ड.05 रमेश मदान ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैंने पंचायत समिति के0पाटन में विकास अधिकारी के पद पर फरवरी 2018 में कार्यग्रहण किया था। जबकि उक्त प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत राजेश बाई पत्नी ओमप्रकाश के समस्त किश्तो का भुगतान 31.01.2018 तक किया जा चुका था व रामकेश पुत्र नेनगराम का भी समस्त किश्तो का भुगतान 02.01.2018 तक हो चुका था। इनका आवास मेरा कार्यग्रहण से पूर्व ही पूर्ण हो चुका था। अंतिम किश्त का भुगतान किया जा चुका था। प्रधानमंत्री आवास योजना में जनगणना 2011 अनुसार सर्वे प्रपत्र स्वयं लाभार्थी द्वारा भरकर आवेदन किया जाता है। जिसके आधार पर इसका भौतिक सत्यापन ग्राम विकास अधिकारी मेला सिंह व पटवारी ज्ञानचंद के द्वारा किया गया। जिसे वर्ष 2017–18 में आवास का स्वीकृति कर प्रार्थी को आवास का लाभ दिया गया। सत्यापित कृता ग्राम विकास अधिकारी मेला सिंह व पटवारी ज्ञानचंद ने 14 बिन्दुओं में सत्यापित किया कि प्रार्थी के पास मोटरसाईकिल या चार पहिया वाहन, पूर्व में पक्का मकान नहीं है जो कि आवास के लिए पात्र है। जिसके बाद ओमप्रकाश नामा द्वारा 12.10.2016 को सत्यापन के आधार पर अनुमोदित किया गया। तथ्य बिन्दुओं को गलत सत्यापित करने के लिए संचित मेलासिंह व पटवारी ज्ञानसिंह जिम्मेवार है।

**15. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य रूप से यह तथ्य उभरकर आये हैं कि** रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बून्दी की ओर से थानाधिकारी को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि राजेश बाई पत्नी ओमप्रकाश रेगर निवासी शेरगंज द्वारा दिनांक 15.10.2016 को अपनी पहचान संबंधी

दस्तावेज व बैंक पासबुक संलग्न कर व रामकेश पुत्र नेनगराम द्वारा दिनांक 12.10.2016 को अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज व बैंक पासबुक संलग्न कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास आवंटन व अनुदान हेतु ग्राम पंचायत गुढा पंचायत समिति के0पाटन को आवेदन किया गया था। संकलित दस्तावेजात व बयानात गवाहान से स्पष्ट हुआ कि प्रकरण में दोनों आवेदकों द्वारा बर्हिवेशन प्रक्रिया में अंकित 14 बिन्दुओ के तहत अपात्र होते हुए भी गलत तथ्यों के आधार पर आर्थिक मदद प्राप्त की एवं उक्त रिपोर्ट के अनुसार सर्वप्रथम यह आरोप लगाये गए है कि अभियुक्त रामकेश ने अपने आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 14(1) के तहत स्वयं के पास दोपहिया वाहन नहीं होना बताया है। जबकि कि परिवहन विभाग के रिकार्ड के अनुसार रामकेश के नाम एक दोपहिया वाहन मोटरसाईकिल सुपर स्पलेण्डर आरजे08–एसजे–5456 व एक चौपहिया वाहन टवेरा नंबर आरजे08–जेयू–3218 होना पाया है तथा अभियुक्ता राजेश बाई ने भी स्वयं के पति के नाम दोपहिया वाहन नहीं होने के संबंध में तथ्य को छिपाया है व रिकार्ड के अनुसार उसके पति ओमप्रकाश के नाम एक दोपहिया वाहन एचएफ डिलक्स नंबर आरजे08–एसआर–2462 होना पायी है। अतः उक्त आधार पर बेईमानीपूर्वक लाभ प्राप्त करने के आशय से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र में तथ्यों को छिपाकर धोखाधडीपूर्वक राजकीय राशि को प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है।

**16.** उक्त के संबंध में प्रार्थी अमरलाल के द्वारा जिला कलक्टर बून्दी को इस संबंध में शिकायत पेश किया जाना बताया गया है लेकिन इस संबंध में **ना ही तो कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है, ना ही उक्त फरियादी अमरलाल को परीक्षित करवाया गया है।** अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाह परीक्षित हुए हैं, उनमें गवाह पी.ड.04 ने जिरह में कथन किया है कि **यह कहना सही है कि भैतिक रूप से मुलजिम रामकेश के पास मोटरसाईकिल व टवेरा गाडी है या नहीं इस बारे में पत्रावली में कोई अंकन नहीं है।** यह कहना सही है कि मुल शिकायतकर्ता अमरलाल के कोई बयान नहीं लिये। यह कहना सही है कि मैंने रामकेश के गांव में किसी भी व्यक्ति के बयान इस बाबत नहीं लिये कि वास्तव मुलजिम के पास वाहन है या नहीं एवं आगे कथन किया है कि मुलजिम ने उस राशि से मकान नहीं बनाया। मुलजिम ने प्रधानमंत्री योजना से 90,000/– रुपये उठाये जिसमें से कुछ पैसे तो आवास बना रहा था और कुछ पैसे

उसने खर्च कर दिये एवं पी.ड.05 ने जिरह में कथन किया है कि फार्म भरने के बाद सत्यापन रिपोर्ट इसी बात की होती है कि भौतिक रूप से व्यक्ति के पास दुपहिया वाहन या चारपहिया वाहन आदि मौजूद है या नहीं। यह कहना सही है कि रामकेश के पास पटवारी या ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट के मुताबिक उस समय कोई दुपहिया या चार पहिया वाहन भौतिक रूप से मौजूद नहीं था। मैंने प्रकरण सामने आने के बाद अपने स्तर पर कोई अनुसंधान नहीं किया क्योंकि मेरे पास इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

अतः स्वयं पी.ड.02 तरूणकान्त के जिसके द्वारा यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वह स्वयं अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहा है कि मुलजिम रामकेश के पास मोटरसाईकिल और टवेरा गाड़ी भौतिक रूप से थी या नहीं मैंने उसका सत्यापन नहीं किया है एवं केवल परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वाहन रामकेश के पास होना बताया है व राजेश बाई के नाम से किसी वाहन के रजिस्ट्रेशन को जप्त नहीं किया है व परिवादी अमरलाल ने उसके समक्ष राजेश बाई के नाम से रजिस्टर्ड किसी वाहन के दस्तावेज को पेश नहीं किया है व गवाह पी.ड. 04 अनुसंधान अधिकारी व पी.ड.05 दोनों ही अपनी जिरह में कथन कर रहे हैं कि अभियुक्तगण के पास भौतिक रूप से उक्त वाहन मौजूद थे या नहीं इस बाबत पत्रावली में अंकन नहीं है। ऐसे में जो शिकायत प्रस्तुत की गई थी वह अमरलाल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उसके आधार पर तरूणकान्त के द्वारा बाद जांच मुकदमा दर्ज करवाया जाकर तरूणकान्त यह कथन कर रहा है कि अभियुक्त के पास भौतिक रूप से वाहन थे या नहीं इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई है व ना ही अनुसंधान अधिकारी ने भौतिक रूप से वाहन की पुष्टि की है एवं **परिवहन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रकरण में राजेश बाई व रामकेश को मुलजिम बनाया गया है** एवं परिवहन विभाग की ओर से जो दस्तावेज पत्रावली में पेश किए गए हैं उन्हें प्रदर्श मार्क नहीं करवाया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्त रामकेश मीणा के नाम एक दोपहिया वाहन मोटरसाईकिल सुपर स्पलेण्डर आरजे08–एसजे–5456 व एक चौपहिया वाहन टवेरा नंबर आरजे08–जेयू–3218 है एवं अन्य अभियुक्ता राजेश बाई के पति ओमप्रकाश के नाम एक दोपहिया वाहन एचएफ डिलक्स नंबर आरजे08–एसआर–2462 है व ना ही शिकायतकर्ता अमरलाल के बयान अनुसंधान अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए हैं एवं ना ही न्यायालय में उसे परीक्षित करवाया गया है व साथ ही जिस आवेदन पत्र पर अभियोजन पक्ष की ओर से मिथ्या

तथ्य अंकित कर प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि का लाभ प्राप्त करना बताया गया है। उक्त आवेदन पत्रों को साक्ष्य में पेश करके प्रदर्श मार्क नहीं करवाया गया है, जिससे उक्त तथ्य की ताईद होती कि अभियुक्तगण के द्वारा उसमें मिथ्या तथ्य अंकित करके धोखाधडीपूर्वक राजकीय राशि प्राप्त की गई है। अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से संदेह से परे अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त अपराध साबित करने में विफल रहा है।

**17.** अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 06.12.2019 से पूर्व किसी समय, स्थान ग्राम पंचायत गुढा में षडयंत्रपूर्वक बेईमानीपूर्ण आशय से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन किया जो कि उक्त आवेदन बर्हिवेशन प्रक्रिया में अंकित बिन्दू संख्या 14(1) के तहत अपात्र थे तथा आपके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से प्राप्त अनुदानित राशि को अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर आपराधिक न्यासभंग कारित किया। अतः अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## :: <u>आदेश</u> ::

**18.** परिणामस्वरूप **अभियुक्तगण 1. रामकेश** पुत्र नानकराम मीणा उम्र 33 साल निवासी रामपुरिया थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 **2. श्रीमती राजेश बाई** पत्नी ओमप्रकाश रेगर उम्र 35 साल निवासी शेरगंज थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 को अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति व बंध–पत्र भार से उन्मोचित किए जाते हैं।

**19.** अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 10,000 रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करे।

**(हनुमान सहाय मीणा)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़**

**20**. निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

**(हनुमान सहाय मीणा)**
**न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़**